दिनांक	आज्ञा पत्र
1.4.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट उप। सेवा 6 से 11 के नोटिस बाद तामील प्राप्त। सेवा 1 से 5 के नोटिस रजि. AD पर करो पेश होने पर जारी हो बाबत तामील दिनांक 21.6.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
21.6.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस व्यय के पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 23.7.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
23.7.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट उप। बाबत इंतजार तामील दिनांक 5.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.8.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट उप। सेवा 1 से 5 के नोटिस रजि. AD के [illegible] [illegible] तामील होकर [illegible] [illegible] तामील मानी जाती है [illegible] दिनांक 4.9.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
4.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/9/24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
12/9/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76 / 2023

1 विष्णुवर्धन पुत्र ईश्वरचन्द्र उर्फ जयचन्द
2 भंवरी देवी पुत्री ईश्वरचन्द्र उर्फ जयचन्द
3 ऊषा देवी पुत्री ईश्वरचन्द्र उर्फ जयचन्द
4 सरोज देवी पुत्री ईश्वरचन्द्र उर्फ जयचन्द
5 भारती देवी पुत्री ईश्वरचन्द्र उर्फ जयचन्द
6 आरती देवी पुत्री ईश्वरचन्द्र उर्फ जयचन्द
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम अणतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जवाहर लाल पुत्र ईश्वरचन्द्र उर्फ जयचन्द
2 रामवतार पुत्र छोगालाल
3 रोहिताश पुत्र प्रतापनारायण
4 धर्मराज पुत्र प्रतापनारायण
5 नवरतन बेवा प्रतापनारायण
6 किशोरी लाल पुत्र नाथुलाल
7 पूर्णमल पुत्र नाथुलाल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम अणतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा मंढा सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 पटवारी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ मु.नं. 50/2017 मुकदमा उनवानी जवाहरलाल बनाम विष्णुवर्धन आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 04.09.2023 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 प्रार्थी का आवेदन तादौराने वाद स्वीकार किया गया है, के विरूद्ध अपील।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.9.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 वाके ग्राम अणतपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियों के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियां अपीलान्टस को उसके पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्टस संख्या 01 का बराबर बराबर हक, हिस्सा बनता है एवं मौके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार ही हैसियत से काबिज होकर अपनी भूमियों की काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में कानूनन सहकाश्तकार खातेदार के विरूद्ध कोई किसी प्रकार की स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई प्रथम दृष्टया मामला ही बनता था। जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गोर नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के आवेदन का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का यह कहना है कि उसका 1/2 हिस्सा शेष 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 01 का बनता है। इसी अनुसार खातेदारी उद्घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत हुआ। जबकि विवादित भूमियां अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 01 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें रेस्पोडेन्टस संख्या 01 का 1/2 हिस्सा कैसे बनता है। उक्त तथ्य वाद में देखा जायेगा परन्तु उक्त तथ्यों का सहारा लेकर जो आवेदन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रस्तुत किया है जो कानूनन विचार किये जाने योग्य नहीं है। इसके पश्चात भी विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गोर नहीं करके कानूनी गलती की है व गलत तथ्यों को सही मानने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय का निर्णय कायम रहने से अपीलान्टस के हक, अधिकार प्रभावित हुये है। जिससे काश्तकार को राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता व बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित हो गये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

उक्त निर्णय से अपीलान्टस के साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात भी है। ऐसी स्थिति में विकास कार्य रूक गया है। जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गोर नहीं किया। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय कायम रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमियों के संदर्भ में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया है। प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से अपीलांट का कथन रहा है कि विचाराधीन स्थगन से अपीलांट विवादित भूमि के संदर्भ में राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता बैंक से ऋण आदि प्राप्त होने से वंचित हो गये। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में इस हद तक छुट प्रदान की जाती है कि विचाराधीन निर्णय अपीलांट को सरकारी सहायता प्राप्त करने, स्वयं का हिस्सा बैंक के रहन रखने, बैंक से ऋण प्राप्त करने में बाधक नहीं रहेगा शेष निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर